Office of the Cantonment Board
Chakrata Cantt.
कार्यालय छावनी परिषद, चकराता
Phone/फोन: 01360- 272220, Fax/फैक्स 01360- 272502
Email/ई-मेल: ceochak-stats@nic.in

File No./फाइल संख्या **1/10/Works of Defence Rules 2024** दिनांक/Dated: 25 October/अक्टूबर, 2024

छावनी परिषद, चकराता

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना एस. आर. ओ. 134 (अ), दिनांक 14-10-2024 केंद्र सरकार, रक्षा संक्रम अधिनियम, 2024 जिसकी प्रतियां हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओ में जनता लिये उपलब्ध करायी गई है। यह प्रारूप नियम, छावनी परिषद् चकराता की वेबसाइट https://chakrata.cantt.gov.in/ एवं https://egazette.gov.in/ पर उपलब्ध है।

इन प्रारूप नियमो पर आपत्ति या सुझाव, यदि कोई हों, निदेशक (भूमि), रक्षा मंत्रालय कमरा नंबर 12-ए, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली -110011 को उक्त अधिसूचना जनता को उपलब्ध करने की तिथि से 30 दिवस के भीतर भेजे जा सकते है।

(आर.एन. मण्डल)
मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी परिषद चकराता

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15102024-257876
CG-DL-E-15102024-257876

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 134]	नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 14, 2024/ आश्विन 22, 1946
No. 134]	NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 14, 2024/ASHVINA 22, 1946

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 2024

का.नि.आ. 134(अ).—निम्नलिखित प्रारुप नियम जिन्हें केंद्रीय सरकार रक्षा संकर्म अधिनियम ,1903 (1903 का 7) की धारा 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं तथा इस आशय की सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारुप नियमों पर केंद्रीय सरकार द्वारा उस तारीख से जिसको भारत के राजपत्र की प्रतियां, जिसमें अधिसूचना प्रकाशित की गई है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं से तीस दिन की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा ;

इन प्रारुप नियमों पर आपत्ति यां सुझाव ,यदि कोई हों, निदेशक (भूमि), रक्षा मंत्रालय कमरा नंबर 12- ए, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली -110011को भेजे जा सकते हैं।

केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारुप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किन्ही आपत्तियों या सुझावों पर विचार किया जाएगा ।

प्रारुप नियम

रक्षा संकर्म नियम, 2024

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा संकर्म नियम 2024 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रशासन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं .-** जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो ,इन नियमों में -

(क) "अधिनियम" से रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 (1903 का 7) अभिप्रेत है।

(ख) यहां प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां जो परिभाषित नहीं है किंतु अधिनियम में परिभाषित है का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनका है ।

3. **कलेक्टर द्वारा सार्वजनिक सूचना देने की रीति.-** (1) कलेक्टर द्वारा अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन सार्वजनिक सूचना जारी की जाएगी, जिसमें उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा की गई घोषणा के सार सहित, अधिनियम की धारा 7 के अधीन लगाए गए प्रतिबंधों की सीमा और प्रकृति के बारे में विवरण भी अंतर्विष्ट होगा।

(2) कलेक्टर द्वारा उपनियम (1) में निर्दिष्ट सार्वजनिक नोटिस जारी करने के लिए व्यापक प्रचार- प्रसार के सभी संभव तरीके, अपनाए जाएंगे, जो निम्नलिखित तक ही सीमित नहीं होंगे:-

(क) स्थानीय भाषा के एक समाचार पत्र सहित कम से कम दो समाचार पत्रों में प्रकाशन करना,

(ख) पंचायत ,नगर पालिका, विकास प्राधिकरण आदि के स्थानीय कार्यालय में प्रसार करना,

(ग) जिले की आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस अपलोड करना,

(घ) इलाके में सुविधाजनक और सहजदृश्य स्थानों पर नोटिस लगाना।

4. **कलेक्टर द्वारा मुआवजे का अवधारण .-** (1) अधिनियम की धारा 12 और धारा 13 के अधीन जांच करने और पंचाट देने के उद्देश्य से कलेक्टर मुआवजे का अवधारण करने और भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित करने हेतु निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर कार्यवाही करेगा, अर्थात :-

(क) उस क्षेत्र में जहां भूमि स्थित है, यथास्थिति, विक्रय विलेखों या विक्रय करारों के रजिस्ट्रेशन के लिए भारतीय स्टांप अधिनियम 1899 (1899 का 2) में विनिर्दिष्ट बाजार मूल्य, यदि कोई हो, या;

(ख) निकटवर्ती ग्राम या निकटवर्ती सामीप्य क्षेत्र में स्थित तुलनीय क्षेत्र की इस प्रकार की भूमि की औसत विक्रय कीमत, जो भी अधिक हो;

परंतु बाजार मूल्य के अवधारणा की तारीख वह तारीख होगी ,जिसको अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना जारी की गई है।

स्पष्टीकरण 1. — भूमि की श्रेणी, कृषि, आवासीय, वाणिज्यिक आदि के रूप में भूमि के वर्गीकरण को दर्शाएगी।

स्पष्टीकरण 2. — उपखंड (ख) में निर्दिष्ट औसत विक्रय कीमत का अवधारणा उसे वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान निकटवर्ती ग्राम या निकटवर्ती सामीप्य क्षेत्र में उसी प्रकार के लिए रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेखों या विक्रय करारों को गणना में रखकर किया जाएगा, जिसमें अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना जारी की गई है।

स्पष्टीकरण 3. — स्पष्टीकरण 2 में निर्दिष्ट औसत विक्रय कीमत का अवधारण करने के लिए, ऐसे विक्रय विलेखों या विक्रय करारों की जिनमें उच्चतम विक्रय कीमत का उल्लेख किया गया है, कुल संख्या के आधे को गणना में लिया जाएगा।

स्पष्टीकरण 4. — इस खंड के अधीन बाजार मूल्य का तथा स्पष्टीकरण 2 या स्पष्टीकरण 3 में निर्दिष्ट औसत विक्रय कीमत का निर्धारण करते समय, जिले में किसी पूर्व अवसर पर अधिनियम के उपबंधों के अधीन अधिसूचित भूमि के लिए मुआवजे के रूप में भुगतान किए गए किसी भी मूल्य पर विचार नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 5. — तुलनीय क्षेत्र, विचाराधीन भूमि के पच्चीस प्रतिशत क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा।

स्पष्टीकरण 6. — इस खंड के अंतर्गत बाजार मूल्य और स्पष्टीकरण 2 या स्पष्टीकरण 3 में विनिर्दिष्ट औसत विक्रय मूल्य का निर्धारण करते समय, ऐसे किसी संदत्त कीमत को, जो कलेक्टर की राय में वस्तुतः विद्यमान बाजार मूल्य की सूचक नहीं है, बाजार मूल्य की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए कम किया जा सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन बाजार मूल्य इस कारण से आधारित नहीं किया जा सकता है कि-

(क) भूमि ऐसे क्षेत्र में स्थित है, जहां भूमि संबंधी संव्यवहार उस क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या उसके अधीन निर्बंधित है; या

(ख) उसी प्रकार की भूमि के लिए उपाधारा (1) के खंड (क) में यथावर्णित पूर्ववर्ती ठीक तीन वर्ष पूर्व के रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख या विक्रय करार उपलब्ध नहीं हैं; या

(ग) बाजार मूल्य को भारतीय स्टांप अधिनियम, 1989 (1989 का 2) के अधीन विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है,

कलेक्टर या अन्य प्राधिकारी संलग्न क्षेत्रों में स्थित उसी प्रकार की भूमि की बाबत उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रीति में संगठित कीमत के आधार पर, उक्त भूमि की भू क्षेत्र कीमत या प्रति यूनिट क्षेत्र न्यूनतम कीमत भी विनिर्दिष्ट करेगा:

परंतु कलेक्टर या अन्य प्राधिकारी उस क्षेत्र में प्रचलित बाजार दर के आधार पर तुलनीय क्षेत्र और सामान श्रेणी की भूमि के बाजार मूल्य को संशोधित और अद्यतन करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा ।

(3) मुआवजे के निर्धारण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों को हुई हानि का निर्धारण करने के लिए कलेक्टर या अन्य प्राधिकारी भूमि के बाजार भाव में संशोधन करने के उद्देश्य से विचार करेगा, अर्थात -

(क) भूमि स्वामी द्वारा प्रस्तावित भूमि का का विधिक रूप से अनुज्ञेय उपयोग, तथा

(ख) अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञेय किसी निर्माण या उत्खनन का निर्माण, रखरखाव, परिवर्धन या परिवर्तन,

जो अधिसूचना की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत घोषणा की तारीख को संबद्ध योजना प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार हो।

स्पष्टीकरण . — योजना प्राधिकारी से किसी केंद्रीय या राज्य अधिनियम के अधीन अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर भूमि के प्रबंधन और प्रशासन तथा/या निर्माण गतिविधियों से संबंधित सभी गतिविधियों को विनियमित करने के लिए सशक्त कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है।

5. **समय सीमा का अनुपालन .-** (1) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन जारी सार्वजनिक सूचना कलेक्टर द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत की गई घोषणा के पंद्रह दिन के भीतर जारी की जाएगी।

(2) ऐसी स्थिति में, जहां अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) या धारा 9 के अधीन सार्वजनिक नोटिस कलेक्टर द्वारा उपनियम (1) में उल्लिखित समयावधि अथवा जो अधिनियम में उल्लेखित हो के भीतर जारी नहीं किया जाता है, वहां उक्त घोषणा के संबंध में अधिनियम के अधीन कलेक्टर के कार्यों का निष्पादन किए जाने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा परामर्शित समय के भीतर केंद्रीय सरकार द्वारा किसी अन्य अधिकारी को नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा।

(3) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा की गई घोषणा उसी प्रकार प्रभावी होगी जिस प्रकार अधिनियम की धारा 3 के अधीन उपबंधित सार्वजनिक सूचना प्रभावी होती है।

6. **आपातकालीन उपबंधों का प्रयोग.-** अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन केंद्रीय सरकार को प्रद्दत शक्ति का प्रयोग केवल युद्ध, बाहरी आक्रमण की आशंका, आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति या कोई अन्य संकट जिसके लिए केंद्रीय सरकार निर्णय ले कि अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करना आवश्यक है, की स्थिति में ही किया जाएगा।

7. **कलेक्टर के पंचाट के विरुद्ध अभ्यवेदन .-** (1) भू-स्वामी अथवा हितबद्ध व्यक्ति कलेक्टर द्वारा प्रतिकर के निर्धारण के विरुद्ध केंद्रीय सरकार द्वारा अधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित प्राधिकारी जो कलेक्टर से कम से कम एक रैंक ऊपर होगा को, अभ्यवेदन दे सकेगा।

(2) उक्त प्राधिकारी, आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात कलेक्टर द्वारा प्रतिकर के निर्धारण में किसी तथ्यात्मक असंगति का आकलन करने के लिए अभ्यवेदन पर विचार करेगा तथा पुनर्विचार के लिए मामले को कलेक्टर को वापस निर्दिष्ट कर सकेगा।

[फा. सं.55/निदेशक/(भूमि)/2023(पीटी.II)]

राकेश मित्तल , संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 2024

S.R.O. 134(E).—The following draft rules, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by section 44 of the Works of Defence Act, 1903 (7 of 1903), is hereby published as required by sub-section (2) of section 44 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration by the Central Government after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification is published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, to these draft rules may be addressed to the Director (Lands), Ministry of Defence, Room No. 12-A, South Block, New Delhi - 110011.

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules, before the expiry of the aforesaid period shall be considered by the Central Government.

Draft Rules

The Works of Defence Rules, 2024

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Works of Defence Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.-** In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Works of Defence Act, 1903 (7 of 1903);

(b) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have meanings as assigned to them in the Act.

3. **Manner of giving public notice by Collector.-** (1) The Collector shall issue public notice under sub-section (2) of section 3 of the Act containing the substance of the declaration made by the Central Government under sub-section (1) of said section, which shall also contain the details regarding extent and nature of restrictions imposed under section 7 of the Act.

(2) The public notice issued by the Collector referred to in sub-rule (1) shall be effected by adopting all possible methods for giving wide publicity, including but not limited to the following, namely :-

(a) publication in at least two newspapers including one in vernacular language;

(b) circulation amongst the local offices of panchayat, municipality, development authority and any authority;

(c) uploading the said notice on the official website of the District;

(d) pasting the said notice at convenient and conspicuous places in the locality.

4. **Determination of compensation by Collector.** - (1) For the purposes of making an inquiry and award under section 12 and section 13 of the Act, the collector shall determine the market value of land in order to determine the compensation by adopting the following criteria, namely :-

(a) the market value of land belonging to the same category, if any, specified in the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899) for the registration of sale deeds or agreements to sell, as the case may be, in the area, where the land is situated; or

(b) the average sale price for similar type of land of comparable area situated in the nearest village or nearest vicinity area, whichever is higher:

Provided that the date for determination of market value shall be the date on which the declaration has been published in the Official Gazette under sub-section (2) of section 3 of the Act.

Explanation 1— The category of land shall denote the classification of land as agricultural, residential, commercial or any other land.

Explanation 2.—The average sale price referred to in sub-clause (b) shall be determined by taking into account the sale deeds or the agreements to sell registered for similar type of area in the near village or near vicinity area during immediately preceding three years of the year in which the declaration has been published in the Official Gazette under sub-section (2) of section 3 of the Act.

Explanation 3.—For determining the average sale price referred to in *Explanation* 2, one-half of the total number of sale deeds or the agreements to sell in which the highest sale price as has been mentioned shall be taken into account.

Explanation 4.—While determining the market value under this clause and the average sale price referred to in *Explanation 2* or *Explanation 3,* any price paid as compensation for land notified under the provisions of the Act on an earlier occasion in the District shall not be taken into consideration.

Explanation 5 — Comparable area shall denote area not exceeding twenty-five per centum of the land under consideration.

Explanation 6.—While determining the market value under this clause and the average sale price referred to in *Explanation 2* or *Explanation 3*, any price paid, which in the opinion of the Collector is not indicative of actual prevailing market value may be discounted for the purposes of calculating market value.

(2) Where the market value under sub-section (1) cannot be determined for the reason that—

(a) the land is situated in such area where the transactions in land are restricted by or under any other law for the time being in force in that area; or

(b) the registered sale deeds or agreements to sell as mentioned in clause (a) of sub-rule (1) for similar land are not available for the immediately preceding three years; or

(c) the market value has not been specified under the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899),

the Collector or the other authority shall specify the floor price or minimum price per unit area of said land based on the price calculated in the manner specified in sub-section(1) in respect of similar types of land situated in immediate adjoining areas:

Provided that the Collector or the other authorities shall take all necessary steps to revise and update the market value of the land of comparable area and same category on the basis of the prevalent market rate in that area.

(3) For the purposes of determining the revision in market value of land for assessing the damage caused to the person interested for determining the compensation, the Collector or other authority shall take into consideration -

(a) legally permissible use of land as proposed by the landowner; and

(b) the erection, maintenance, addition or alteration of any construction or excavation permitted by the Authority specified under section 7 of the Act,

in accordance with the norms prescribed by the concerned Planning Authority as on date of declaration under sub-section (1) of section 3 of the Act.

Explanation .- The Planning Authority means any authority empowered so under a Central Act or State Act to regulate all activities relating to management and administration of land and /or construction activities within their jurisdiction.

5. **Compliance with timelines**. - (1) The public notice issued under sub- section (2) of section 3 of the Act shall be issued by the Collector within fifteen days of the declaration made by the Central Government under sub- section (1) of section 3 of the Act.

(2) In a situation where public notice under sub-section (2) of section 3 or section 9 of the Act is not issued by the Collector within the time period mentioned in sub-rule (1) or as prescribed in the Act, any other officer may be designated by the Central Government to perform the functions of Collector under the Act in respect of the said declaration, and within such time as may be advised by the Central Government.

(3) The declaration made by the Central Government under sub-section (1) of section 3 of the Act shall have the same effect as a public notice provided for under section 3 of the Act.

6. Use of emergency provisions. - The power conferred upon the Central Government under sub- section (3) of section 6 of the Act shall be invoked only in case of national emergency declared by the President on the basis of threat of war, external aggression, internal disturbance or any other crisis warranting invocation of power under sub-section (2) of section 3 of the Act as decided by the Central Government.

7. Representation against Collector's award.- (1) The landowner or person interested may prefer a representation against the determination of compensation by the Collector to an Authority atleast one rank higher than the Collector as may be notified by the Central Government in the Official Gazette .

(2) The said Authority shall consider the representation, after giving due opportunity of being heard to the applicant, to assess any factual inconsistency in the determination of compensation by the Collector and may refer the matter back to the Collector for reconsideration of the award.

[F. No.55/Dir(Lands)/2023(pt.II)]

RAKESH MITTAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA